न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर,
मु.नं. 19/17 तारीख रजू 06.07.17 किस्म–प्रार्थना पत्र 14(4)
बउनवानी सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर **बनाम** जैन्या

...ख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...7.18	पत्रावली पेश हुयी। वकील पेरोकार सरकार उप0। प्रकरण माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर से स्थानान्तरण होकर वास्ते सुनवाई इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रकरण आप द्वारा अप्रार्थी जेन्या पुत्र चून्या जाति बैरवा निवासी कीरपुरा तहसील सवाई माधोपुर को आराजी खसरा नम्बर 742 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम कीरपुरा मे किया गया अलॉटमेन्ट आदेश दिनांक 14.10.75 के विरूद्व अलॉट शुदा भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं होने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया है कि आप द्वारा जिस आवंटन आदेश दिनांक 14.10.75 को निरस्त कराने की चुनोती दी गयी है, उस आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सलंग्न नहीं की गयी है। वर्तमान में अप्रार्थी जेन्या पुत्र चून्या जाति बैरवा निवासी फोत हो चुका है। अतः आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने के कारण प्रकरण आपको लोटाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि आप आवंटन आदेश दिनांक 14.10.75 के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुये तथा मृतक जैन्या पुत्र चून्या जाति बैरवा के स्थान पर उनके वारिसान को पार्टी बनाते हुये पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र 14 (4) प्रस्तुत करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।	